राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा एवं परांज (प्राशि) विभाग

5 OCT 2018

क्रमांक प.5(5)प्राशि / स्था.कैम्प / 2018 पार्ट 3 जयपुर, दिनांक : 5 OCT 20..

–:: आदेश ::–

तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक एवं शारीरिक शिक्षकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किये जाते हैः–

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	हरकेश कुमार	Teacher (Grade-III) Leval-2 Social Science	11.09. 2012	राउप्रावि सालाहेडा तह0 तिजारा जिला अलवर	Alwar	**GOVT. UPS BAIRWA BAS SAINTHAL (08061201703)** में सामाजिक विज्ञान के रिक्त पद पर	Alwar	प्रशा.
2	मुकेशकुमार (आरजेएएल20120201469 9)	Teacher (Grade-III) Leval-2 Math	11-09-2012	राउप्रावि बीदूका लक्ष्मणगढ अलवर	Alwar	राउप्रावि, पतलियों की ढाणी,(08061004705) थानागाजी अलवर	Alwar	
3	रंजना पोरवाल	Teacher (Grade-III) Level I	01-10-2008	राउप्रावि कुण्डिया गेट रायला पंस बांदरा	Bhilwara	राउप्रावि वार्ड नं. 8 (08240846301) भीलवाडा	Bhilwara	
4	बसंतकुमार मीणा *ब्लड कैंसर रोगी* (आरजेजेओ201525009044)	Teacher (Grade-III) Leval-2 Sanskrit	08-05-2015	राउप्रावि इन्दोलाई नाडी फतेहसागर लोहावट जोधपुर	Jodhpur	राउप्रावि मनोहरगढ, जहाजपुर (08241005101) में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Bhilwara	

www.rajteachers.com

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
5	रघुवीरसिंह	Teacher (Grade-III) Leval-2 Social Science	12-09-2012	राउप्रावि नाईयों दर्जियों की ढाणी पंसं शिव बाड़मेर	Barmer	राउप्रावि जोगियासन (08030215401) में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Bikaner	
6	दौलतराम (आरजेजे डब्ल्यू 201222008619)	Teacher (Grade-III) Leval-2 Social Science	12.09.2015	राउप्रावि जयश्री भीलन मनोहरथाना झालावाड	Jhalawar	राउप्रावि रेल्वे स्टेशन जामसर (08030105103) बीकानेर में लेवल–1 के पद पर	Bikaner	
7	सुधीरा नेहरा (आरजेबीडब्ल्यू201208012048)	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	14-09-2012	राउप्रावि गुडान पंसं राजगढ चूरू	Churu	राउप्रावि बैरासर बडा (08040214001)पंसं राजगढ चूरू में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Churu	
8	विनिता गुप्ता	Teacher (Grade-III) Leval-1		राउप्रावि सांगानेर ओल्ड से सुन्दरपुरा जमवारामगढ स्थानान्तरणधीन	Jaipur	राउप्रावि बुद्धसिंहपुरा (08122704612)सांगानेर जयपुर में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Jaipur	
9	मन्नी देवी	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	13-09-2012	राउप्रावि चुन्दारा केकडी झुंझुनू	Jhunjhunu	राउप्रावि नवोदी काठी (08050707004) नवलगढ – लेवल–2 हिन्दी के रिक्त पद पर	Jhunjhunu	
10	राजेन्द्र वैष्णव	प्रबोधक लेवल–1 हिन्दी	03.10.2008	राप्रावि चौधरी मोहन राम साई की ढाणी गोपास एरिया तिंवरी जोधपुर	Jodhpur	राप्रावि, गोदारा की ढाणी, (08151300901) लोहावट में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Jodhpur	प्रशा.

www.rajteachers.com

क्रं. स.	नाम कर्मचारी	पद नाम मय विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान		
						विद्यालय का नाम	जिला	वि0 वि0
11	भवानीसिंह मीणा (आरजेसीआर 200612010988)	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	06-02-2006	राउप्रावि नीमरासर सरदारशहर चूरू	Churu	राउप्रावि, भानबरपुरा (08090104302) करौली	Karoli	
12	महेशदान खिडिया (आरजेएसआर200934007442)	PTI	15.05.2009	राउप्रावि मोरवाडा रेवदर सिरोही	Sirohi	राबाउप्रावि बनवारी (08201700803)पंसं पाली में शा0 शि0 के रिक्त पद पर	Pali	
13	ज्योति गुप्ता	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	08-04-2015	राउप्रावि खांदोज पंस स0मा0	Sawaimadhopur	राउप्रावि सेठ हठीलाराम (08100318703)गंगापुरसिटी	Sawaimadhopur	
14	बीना पंवार	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	13-09-2012	राउप्रावि मसुदा काशीपुरा	Ajmer	राउप्रावि मेयो लिंक रोड भट्टा (08211503504)अजमेर में लेवल–2 के रिक्त पद पर	Ajmer	
15	अजय सांखला	Teacher (Grade-III) Level I	20-09-2007	राप्रावि हंसपुरा फूलियांकलां भीलवाडा	Bhilwara	राप्रावि रामपुरा लसाडिया (08210803702) केकडी, अजमेर में रिक्त पद पर	Ajmer	
16	लाड देवी खाती	प्रबोधक लेवल–1 हिन्दी	01-10-2008	राउप्रावि बांसलक्ष्मणा देवली टोंक	Tonk	राप्रावि रामखेडी, (08211605102) सरवाड में लेवल–1 के रिक्त पद पर	Ajmer	
17	हर्ष पंवार	Teacher (Grade-III) Leval-2 Hindi	12-09-2013	राबाउप्रावि बबायचा से राबाउप्रावि कुंदन नगर स्थानान्तरित	Ajmer	राउप्रावि सुभाषनगर, (08211502414)अजमेर में लेवल–2 हिन्दी के रिक्त पद पर	Ajmer	

www.rajteachers.com

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के पूर्व निम्नांकित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1 संबंधित कार्मिक का परिवीक्षाकाल पूर्ण न होने की स्थिति में उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

2 संबंधित कार्मिक लम्बे समय से अनुपस्थित हो/निलम्बित हो/न्यायालय निर्णय से स्थगन प्राप्त हो/न्यायालय में कार्मिक के विरूद्ध वाद विचाराधीन हो, तो उनकों कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

3 प्रबोधक तथा पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नियुक्त ऐसे अध्यापक जिनका राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के नियम 6 डी के तहत् चयन नहीं किया गया है, उनको शहरी क्षेत्र के लिये कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत् समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

5 शून्य नामांकन वाले विद्यालय में किसी भी अध्यापक का स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि स्थानान्तरण प्रक्रिया से कोई विद्यालय (शून्य नामांकन वाले को छोड़कर) शिक्षक विहीन न हो जावें।

7 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधी सहमति का शपथ पत्र लिया जावें अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

8 गैर प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2012 के पश्चात की हो तो, उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

9 प्रतिबन्धित जिले से गैर प्रतिबन्धित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31–12–2008 के पश्चात् की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

10 टीएसपी से गैर टीएसपी क्षेत्र हेतु स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

11 लेवल प्रथम के अध्यापक को लेवल द्वितीय के पद हेतु कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

12 लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान एवं अग्रेजी के शिक्षक को उसके समान पद एवं विषय के लिये ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

13 लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में लेवल प्रथम के पद पर लेवल–2 सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा (संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, सिंधी आदि) एवं हिन्दी के कार्मिकों को कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जा सकता है।

14 संबंधित कार्मिक का स्थानान्तरण गैर प्रतिबन्धित से प्रतिबन्धित जिले में हो रहा हो, तो उनका केवल परिवीक्षाकाल पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाकर, उनकों कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

15 प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होने पर यदि हटने वाला कार्मिक निर्धारित गंभीर रोगो से ग्रसित (कैंसर रोगी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर, पूर्णतः दिव्यांग, पूर्णतः दृष्टिहीन) हो तो उन्हे कार्यमुक्त न किया जावें एवं उनके विरूद्व आने वाले कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाकर उन्हे पुनः मूल पदस्थापन हेतु भेजा जावें।

www.rajteachers.com

16 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/पीईईओ स्थानान्तरित कार्मिक को उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित होने की स्थिति में तत्काल कार्यमुक्त करे एवं कार्मिक **दिनांक 05.10.2018** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करे अन्यथा दोषी अधिकारी /कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संपादित की जावेगी। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2018 को अपने जिले के ऐसे प्रकरणों की सूचना मय सूची निदेशालाय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को प्रेषित करें।

17 पीईईओ द्वारा आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संबंधित बीईईओ इसकी सूचना जिशिअ प्राशि को देंगे तथा जिशिअ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव बना कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर को प्रेषित करेंगे।

18 स्थानान्तरित कार्मिक की समस्त प्रविष्टियों का शालादर्शन पोर्टल से सत्यापन पश्चात पोर्टल के माध्यम से ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करवाया जावें।

19 स्थानांतरण प्रक्रिया में इस विभाग द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21.04.16, 24.06.16 एवं 06.07.16 से जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे ।

20 प्रशासनिक स्थानान्तरण पर क्रम संख्या 10 एवं 13 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री (प्रारम्भिक शिक्षा–स्वतन्त्र प्रभार) प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
2 निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की पालना सम्बन्धित पीईईओ के माध्यम से कराने का श्रम करावें।
8 उपायुक्त, शाला दर्शन प्रकोष्ठ, राप्राशिप, जयपुर को पोर्टल पर मॉड्यूल द्वारा मैपिंग किये जाने हेतु प्रेषित है।
9 उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा समस्त।
10 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को पालना हेतु
11 संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को पालना हेतु
12 रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट)
अनुभागाधिकारी

www.rajteachers.com